

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल 2023-वैशाख 1, शक 1945

भाग ३ (१)

विज्ञापन

विविध

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म.प्र.)

क्र. 04-02-195-यो-रूपां-546

जबलपुर, दिनांक 3 मार्च 2023

यह कि केंद्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा 67(2) एवं धारा 176(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (डीमड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अतिउच्चदाब विद्युत उपकेंद्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने, राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेंद्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने एवं विद्यमान पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से 400, 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है :-

- (1) नाम : ये परियोजनायें 400, 220 एवं 132 किलोवोल्ट (केव्ही) लाइनों एवं उपकेंद्रों से संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी।

(2) परियोजनाओं का विवरण : परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लंबाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है :-

(I) गहत्वपूर्ण विभागीय कार्य :

(क) 132 केव्ही फीडर बे का निर्माण कार्य :

400 केव्ही किरनापुर (02), 220 केव्ही कुक्सी (01), 132 केव्ही बड़वानी (01), 220 केव्ही कोटर (02), 132 केव्ही मंझगवां (02), 220 केव्ही बड़नगर (01), 132 केव्ही बंडा (01), 400 केव्ही सागर (01), 132 केव्ही बरही (01), 132 केव्ही कैमोर (01), 220 केव्ही शिवपुरी (02), 132 केव्ही बैराड (01), 220 केव्ही बैतूल (01), 132 केव्ही चिचोली (01), 132 केव्ही भौनरा (01), 132 केव्ही कापसी (01), 220 केव्ही अशोकनगर (02), 132 केव्ही कोठिया (01), 132 केव्ही मोहना (01), 220 केव्ही गंजबासौदा (01), 132 केव्ही सहरवासा (01), 220 केव्ही बड़नगर (01), 132 केव्ही छायेन (01), 400 केव्ही आष्टा (01), 132 केव्ही पोलाइकंला (01), 132 केव्ही आलोट (01), 132 केव्ही ताल (01), 132 केव्ही आरोन (01), 220 केव्ही नलखेड़ा (01), 132 केव्ही खुजनेर (01), 220 केव्ही पीथमपुर (02), 132 केव्ही कसरावद (01), 132 केव्ही सोनकच्छ (01), 132 केव्ही सुलतानपुर (01), 132 केव्ही शाहगंज (01), 132 केव्ही बरेली (01), 220 केव्ही मुंगलियाछाप (02), 132 केव्ही बहादुरपुर (01) एवं 132 केव्ही बड़गाँव (01) (कुल 46 नंबर), अनुमानित लागत रु. 5741.17 लाख।

(ख) 220 केव्ही कार्य :

220 केव्ही मालनपुर (मेहगांव)-औरैया परिपथ का 220 केव्ही उपकेन्द्र भिंड (टीबीसीबी) के लिये लिलो लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई 2X1.6 कि.मी., अनुमानित लागत - 179.17 लाख रु.।

(ग) 400 केव्ही कार्य :

400 केव्ही भोपाल-दमोह (पीजीसीआईएल) लाइन के एक परिपथ का 400 केव्ही उपकेन्द्र सागर में लिलो लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई 2X19 कि.मी., अनुमानित लागत - 5278.22 लाख रु.।

(II) उपभोक्ता सहभागिता कार्य :

(क) 132 केव्ही फीडर बे का निर्माण कार्य :

132 केव्ही फीडर बे :

220 केव्ही बुधनी (02), 400 केव्ही जुलवानिया (01), 220 केव्ही छनेरा (01), 220 केव्ही नागदा (02), 132 केव्ही अंजड़ (03), 132 केव्ही जावरा (02) एवं 132 केव्ही मूंदी (02) (कुल 13 नंबर), अनुमानित लागत रु. 1523.43 लाख।

(ख) 132 केव्ही पारिषण लाईन :

1. 220 केव्ही कटनी (400 केव्ही)-आरटीएस मंझगवां फाटक डीसीडीएस लाइन को रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण के कारण शिफ्टिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 2X2 कि.मी., अनुमानित लागत-202.18 लाख रु.।
2. 132 केव्ही कटनी-स्लीमनाबाद डीसीएसएस लाइन का 400 केव्ही कटनी गैन्ट्री से लोकेशन क्र. 8 तक को रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण के कारण शिफ्टिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1X1.3 कि.मी., अनुमानित लागत - 104.65 लाख रु.।

3. 132 केव्ही कटनी-कैमोर डीसीडीएस लाइन का 400 केव्ही कटनी उपकेन्द्र गैन्ट्री से लोकेशन क्र. 6 तक की रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण के कारण शिफ्टिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 2X1.3 कि.मी., अनुमानित लागत - 142.61 लाख रु.।
4. 132 केव्ही कटनी (400 केव्ही)-कटनी (132 केव्ही) इंटर कनेक्टर डीसीडीएस लाइन का 400 केव्ही उपकेन्द्र गैन्ट्री से लोकेशन क्र. 27 तक की रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण के कारण शिफ्टिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1X1.3 कि.मी., अनुमानित लागत - 101.09 लाख रु.।
5. 220 केव्ही इंदौर-पीथमपुर-बड़नगर लाइन का लोकेशन क्र. 92 से 101 तक उषापार-बेटमा सड़क निर्माण के कारण शिफ्टिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 2X3 कि.मी., अनुमानित लागत-326.92 लाख रु.। (पुनः संशोधित प्रकाशन)
6. 400 केव्ही इंदौर-नागदा डीसीडीएस लाइन का लोकेशन क्र. 82 से 86 तक उषापारा-बेटमा सड़क निर्माण के कारण शिफ्टिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 2X2 कि.मी., अनुमानित लागत-341.46 लाख रु.। (पुनः संशोधित प्रकाशन)
7. 220 केव्ही नेपानगर-छैगांव (400 केव्ही) खंडवा (पीजीसीआईएल) लाइन का लोकेशन क्र. 257 से 262 तक भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एनएच-342 बीजी के धनगवां-बोरगांव खण्ड के निर्माण के कारण शिफ्टिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 2X2 कि.मी., अनुमानित लागत-317.99 लाख रु.।
8. 132 केव्ही छैगांव-तलबडिया आरटीएस (2 फेस 4 वायर) लाइन के लोकेशन क्र. 05 से 09 तक भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एनएच-342 बीजी के धनगवां-बोरगांव खण्ड के निर्माण के कारण शिफ्टिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 2X1 कि.मी., अनुमानित लागत - 207.44 लाख रु.।
9. 132 केव्ही छैगांव (400 केव्ही) - छैगांव (132 केव्ही) तीसरे इंटर कनेक्टर लाइन के लोकेशन क्र. 04 से 08 तक भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एनएच-342 बीजी के धनगवां-बोरगांव खण्ड के निर्माण के कारण शिफ्टिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1X1.3 कि.मी., अनुमानित लागत-219.54 लाख रु.।
10. 132 केव्ही आष्टा (400 केव्ही) - पंप हाउस क्र. 3 तक डीसीडीएस लाइन एवं इसके बाद पम्प हाउस क्र. 3 से पम्प हाउस क्र. 4 तक डीसीएसएस नई लाइन का इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य, लंबाई 1X4.5+2X24+2X11.50 कि.मी., अनुमानित लागत-5823.33 लाख रु.।
11. बाण सागर डेम के जल भराव क्षेत्र में म.प्र.टूरिज्म कॉर्पोरेशन के लिये सारसी टापू आईलैंड बेघारी जिला शहडोल को 11 केव्ही सप्लाय को टावर पर निर्मित करने का कार्य, लंबाई 1X3 कि.मी., अनुमानित लागत - 745.59 लाख रु.।
12. 132 केव्ही उपकेन्द्र जौरा से 2 फेस 6 वायर आरटीएस लाइन जौरा (एनसीआर-आगरा) रेल्वे उपकेन्द्र के लिये लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई 2X7 कि.मी., अनुमानित लागत 998.44 लाख रु.। (पुनः संशोधित प्रकाशन)
13. 132 केव्ही खिलचीपुर आरटीएस उपकेन्द्र (डब्ल्यूसीआर) के लिये 132 केव्ही 2 फेस 4 वायर डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई 2X2 कि.मी., अनुमानित लागत 328.5 लाख रु.। (पुनः संशोधित प्रकाशन)
14. 220 केव्ही इटारसी-बरवाहा-हंडिया लाइन के लो. क्र .11 से 20 तक का प्रस्तावित तीसरे एवं चौथे नागपुर-इटारसी रेल्वे ट्रैक निर्माण (सीआर) के कारण शिफ्टिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 2X2.4 कि.मी., अनुमानित लागत 418.23 लाख रु.। (पूर्व प्रकाशन का संशोधन)
15. 132 केव्ही इटारसी-सिवनी मालवा लाइन (सिंगल सर्किट) के लो. क्र. 16 से 25 तक का प्रस्तावित तीसरे एवं चौथे नागपुर-इटारसी रेल्वे ट्रैक निर्माण (सीआर) के कारण शिफ्टिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1X2.3 कि.मी., अनुमानित लागत 271.5 लाख रु.। (पूर्व प्रकाशन का संशोधन)

16. 132 केव्ही मोतीझील-बामौर लाइन के लो. क्र. 38 से 48 तक को ग्वालियर-श्यापुरकला रेल्वे ट्रैक के गेज कनवर्सन के कारण (उत्तर मध्य रेल्वे) शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 2X1.8 कि.मी., अनुमानित लागत 389.47 लाख रु.। (पूर्व प्रकाशन का संशोधन)
17. 132केव्ही सबलगढ़-श्यापुर डीसीडीएस लाइन के लो. क्र. 324 से 329 तक को ग्वालियर-श्यापुरकला रेल्वे ट्रैक के गेज कनवर्सन के कारण(उत्तर मध्य रेल्वे) शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 2x2.5 कि.मी., अनुमानित लागत 1095.96 लाख रु.। (पूर्व प्रकाशन का संशोधन)
18. 132 केव्ही राधोगढ़ (132 केव्ही)-गेल तक नई लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई 1X7+1X0.2 कि.मी., अनुमानित लागत 1038.31 लाख रु.।
19. 132 केव्ही महावडिया-सलैया(बीडीएल) डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई 2x9+2x1कि.मी., अनुमानित लागत 1460.41 लाख रु.।
20. बुधनी-इंदौर नई रेल लाइन विद्युतीकृत (आरएलएनएल) भोपाल द्वारा निर्माण के कारण 220 केव्ही डीसीडीएस देवास-आष्टा लाइन का लिलो चापड़ा के लो. क्र. 97 से 108 तक का शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1 X 4.70 कि.मी., अनुमानित लागत 809.71 लाख रु.।
21. बुधनी-इंदौर नई रेल लाइन विद्युतीकृत (आरएलएनएल) भोपाल द्वारा निर्माण के कारण 132 केव्ही इटारसी-नसरुलागंज डीसीडीएस लाइन का उपकेन्द्र शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1X1.2 कि.मी., अनुमानित लागत 201.11 लाख रु.।
22. बुधनी-इंदौर नई रेल लाइन विद्युतीकृत (आरएलएनएल) भोपाल द्वारा निर्माण के कारण 132 केव्ही चापड़ा-देवास (बीडीएल) डीसीडीएस लाइन के चापड़ा उपकेन्द्र के गैट्री से लो. क्र. 132 तक शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 2X1.8+2X1 कि.मी., अनुमानित लागत 517.05 लाख रु.।
23. 132 केव्ही चापड़ा-रतेडी डीसीडीएस लाइन के लो. क्र. 42 से 50 तक गेज कनवर्सन के कारण शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 2X1.5+1X1.6 कि.मी., अनुमानित लागत 820.12 लाख रु.।
24. बुधनी-इंदौर नई रेल लाइन विद्युतीकृत (आरएलएनएल) भोपाल द्वारा निर्माण के कारण 132 केव्ही सिवनी-चापड़ा डीसीडीएस लाइन के लो. क्र. 59 से 71 तक शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1X4 कि.मी., अनुमानित लागत 399.63 लाख रु.।
25. बुधनी-इंदौर नई रेल लाइन विद्युतीकृत (आरएलएनएल) भोपाल द्वारा निर्माण के कारण 220 केव्ही इन्दौर -देवास डीसीडीएस लाइन के लो. क्र. 72 से 78 तक शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 2X2.60 कि.मी., अनुमानित लागत 544.36 लाख रु.।
26. बुधनी-इंदौर नई रेल लाइन विद्युतीकृत (आरएलएनएल) भोपाल द्वारा निर्माण के कारण 132 केव्ही राऊखेडी-देवास डीसीडीएस लाइन के लो. क्र. 58 से 61 तक शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1X1 कि.मी., अनुमानित लागत 161.35 लाख रु.।
27. बुधनी-इंदौर नई रेल लाइन विद्युतीकृत (आरएलएनएल) भोपाल द्वारा निर्माण के कारण 132 केव्ही हंडिया-नसरुलागंज डीसीएसएस लाइन के लो. क्र. 164 से 158 तक शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1X2कि.मी., अनुमानित लागत 321.75 लाख रु.।
28. बुधनी-इंदौर नई रेल लाइन विद्युतीकृत (आरएलएनएल) भोपाल द्वारा निर्माण के कारण 132 केव्ही हंडिया-नसरुलागंज डीसीएसएस लाइन के लो. क्र. 119 से 134 तक शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1X5.3 कि.मी., अनुमानित लागत 726.42 लाख रु.।
29. बुधनी-इन्दौर नई रेल लाइन विद्युतीकृत (आरएलएनएल) भोपाल द्वारा निर्माण के कारण 132 केव्ही हंडिया-नसरुलागंज डीसीएसएस लाइन के लो. क्र. 98 से 109 तक शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1 X 4 कि.मी., अनुमानित लागत 492.41 लाख रु.।
30. बुधनी-इंदौर नई रेल लाइन विद्युतीकृत (आरएलएनएल) भोपाल द्वारा निर्माण के कारण 132 केव्ही हंडिया-नसरुलागंज डीसीएसएस लाइन के लो. क्र. 72 से 79 तक शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 2 X 2.4 कि.मी., अनुमानित लागत 356.58 लाख रु.।
31. बुधनी-इंदौर नई रेल लाइन विद्युतीकृत (आरएलएनएल) भोपाल द्वारा निर्माण के कारण 132 केव्ही आष्टा-कन्नौद (सिंगल सर्किट) लाइन के लो. क्र. 136 से 146 तक शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1 X 5.5 कि.मी., अनुमानित लागत 626.28 लाख रु.।
32. 132 केव्ही रीवा-सगरा-सीधी (सिंगल सर्किट) लाइन के लो. क्र. 158 से 162 तक एन.एच.ए.आई द्वारा चुरहट बाई पास निर्माण के कारण शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1X1.4 कि.मी., अनुमानित लागत 199.89 लाख रु.।

33. 132 केव्ही सीवा-सगरा-सीधी (सिंगल सर्किट) लाइन के लो. क्र. 175 से 181 तक शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1 x 1.6 कि.मी., अनुमानित लागत 249.26 लाख रु.।
34. 132 केव्ही सीधी (220केव्ही) सीधी (132केव्ही) इन्टरनेक्टर डीसीडीएस लाइन के लो. क्र. 15 से 18 तक शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 2x1 कि.मी अनुमानित लागत 179.09 लाख रु.।
35. 220 केव्ही भोपाल-आष्टा डीसीडीएस लाइन के लो. क्र. 78 से 88 तक डब्लू सी आर रामगंज मण्डी-भोपाल नई रेल लाइन के व्यावसायिक-भोपाल के मध्य निर्माण के कारण शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 2x1.20कि.मी., अनुमानित लागत 377.12 लाख रु.।
36. 220 केव्ही भोपाल (400 केव्ही)-सुजालपुर (220 केव्ही) डीसीडीएस लाइन के लो. क्र. 78 से 84 तक डब्लू सी आर रामगंज मण्डी-भोपाल नई रेल लाइन के व्यावसायिक-भोपाल के मध्य निर्माण के कारण शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 2 x 1.3 कि.मी., अनुमानित लागत 370.06 लाख रु.।
37. 132 केव्ही पचोर-ब्यावरा (सिंगल सर्किट) लाइन के लो. क्र. 200 से 205 तक डब्लू सी आर रामगंज मण्डी-भोपाल नई रेल लाइन के व्यावसायिक-भोपाल के मध्य निर्माण के कारण शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1x1.60 कि.मी., अनुमानित लागत 337.76 लाख रु.।
38. 132 केव्ही श्यामपुर-पीलूखेड़ी डीसीडीएस लाइन के लो. क्र. 75 से पीलूखेड़ी (सबस्टेशन) गैट्री तक डब्लू सी आर रामगंज मण्डी-भोपाल नई रेल लाइन के व्यावसायिक-भोपाल के मध्य शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1x1 कि.मी., अनुमानित लागत 262.91 लाख रु.।
39. 132 केव्ही बैरागढ़-कुरावर डीसीएसएस लाइन के लो. क्र. 191 से 195 तक डब्लू सी आर रामगंज मण्डी-भोपाल नई रेल लाइन के व्यावसायिक-भोपाल के मध्य शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1x1.30 कि.मी., अनुमानित लागत 310.85 लाख रु.।
40. 132 केव्ही बैरागढ़-सीहोर (सिंगल सर्किट) लाइन के लो. क्र. 23 से 27 तक डब्लू सी आर रामगंज मण्डी-भोपाल नई रेल लाइन के व्यावसायिक-भोपाल के मध्य शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1x1.60कि.मी., अनुमानित लागत 373.38 लाख रु.।
41. आई.ए.सी.पी. कालीसिंध-फेज-1 योजना के अंतर्गत द्वितीय-परिपथ का 132 केव्ही गूदी-पम्प हाउस 1 एवं 2 के ऐंगल प्वाइंट 21 से ऐंगल प्वाइंट 35 फेज 1 और 2 योजना का कॉमन टावर (प्वाइंट) का निर्माण तथा 220 केव्ही उपकेन्द्र पुनासा से ऐंगल प्वाइंट 21 फेज-1 योजना से ऐंगल प्वाइंट 35(फेज-1 और 2 का कॉमन टावर) से कालीसिंध फेज-2 योजना का पम्प हाउस-1 तक नई लाइन के निर्माण के कारण शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य, लंबाई 1x1.7+1x 17.9 कि.मी., अनुमानित लागत 1030.64 लाख रु.।
42. 132 केव्ही पुनासा (220 केव्ही) से कामन प्वाइंट (AP-68) और इसके बाद कालीसिंध फेज-2 परियोजना के पम्प हाउस-2 और पम्प हाउस -3 तक नई लाइन के निर्माण के कारण शिपिंग/मोडिफिकेशन कार्य लंबाई 1x6.2+2x49.4 कि.मी., अनुमानित लागत 8064.95 लाख रु.।
43. 220 केव्ही मालवा (TPH) छेगाव डीसीडीएस लाइन के एक सर्किट का कालीसिंध फेज-2 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अंजनिया खुर्द (220 केव्ही सिंगल सर्किट लाइन) के लिये लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई 2 x 18 कि.मी., अनुमानित लागत 2512.56 लाख रु.।
44. सिगरौली जिले में प्रस्तावित धिरौली कोल ब्लॉक के कारण 132 केव्ही डोंगरीताल/अनूपपुर-रजमिलान लाइन के लोकेशन क्र. AP-7 (Old Exist)-Exist Loc.443 तक के विस्थापन कार्य, लंबाई 1x 9.618, अनुमानित लागत 3733.94 लाख रु.।

(3) कुल अनुमानित लागत :

उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 512.26 करोड़ है।

(4) टॉवर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञापिधारियों का संकर्म नियम 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी। विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खंभे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रखरखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त हैं।

(4) एतद् द्वारा मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं।

आर. के. खंडेलवाल, मुख्य अभियंता (मा.संसा. एवं प्रशा.)

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर, मध्यप्रदेश

विज्ञापित क्र. 65

इन्दौर, दिनांक 31 मार्च 2023

“प्ररूप उन्नीस”

(नियम 19 (3) देखिए)

धारा 50 की उप-धारा 11 के अधीन नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (कमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद् द्वारा यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर (म.प्र.) द्वारा तैयार की नगर विकास स्कीम कमांक 09, ग्राम बिचौली हप्पी, तहसील बिचौली हप्पी, टिगरियाराव एवं कनाडिया, तहसील कनाडिया, इंदौर को संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है ।

उक्त स्कीम के अभिविन्यास, मूल भूखंड तथा अंतिम भूखंड को दर्शाते हुए तथा प्ररूप-उन्नीस (क), प्ररूप-उन्नीस (ख) तथा प्ररूप-उन्नीस (ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाए गए कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिए उपलब्ध है :-

- 1- इंदौर विकास प्राधिकरण, 7, रेसकोर्स रोड, इंदौर (म.प्र.)
- 2- कलेक्टर, जिला इंदौर (म.प्र.)
- 3- संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड शॉपिंग कॉम्पलेक्स, ए.बी.रोड (म.प्र.)
- 4- आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर (म.प्र.)
- 5- प्राधिकरण की वेबसाईट WWW.idaindore.org पर भी प्रकाशित

उपरोक्त स्कीम दिनांक 27-03-2023 से प्रभावशील होगी ।

(G-474)

विज्ञप्ति क्र. 66

“प्ररूप उन्नीस”

(नियम 19 (3) देखिए)

धारा 50 की उप-धारा 11 के अधीन नगर विकास स्कीम
की घोषणा हेतु सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद् द्वारा यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर (म.प्र.) द्वारा तैयार की नगर विकास स्कीम क्रमांक 10, ग्राम बड़ा बांगडदा, पालाखेडी, टिगरिया बादशाह एवं लिम्बोदागारी, तहसील मल्हारगंज, इंदौर को संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है ।

उक्त स्कीम के अभिविन्यास, मूल भूखंड तथा अंतिम भूखंड को दर्शाते हुए तथा प्ररूप-उन्नीस (क), प्ररूप-उन्नीस (ख) तथा प्ररूप-उन्नीस (ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाए गए कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिए उपलब्ध है :-

- 1- इंदौर विकास प्राधिकरण, 7, रेसकोर्स रोड, इंदौर (म.प्र.)
- 2- कलेक्टर, जिला इंदौर (म.प्र.)
- 3- संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए.बी.रोड (म.प्र.)
- 4- आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर (म.प्र.)
- 5- प्राधिकरण की वेबसाईट WWW.idaindore.org पर भी प्रकाशित

उपरोक्त स्कीम दिनांक 27-03-2023 से प्रभावशील होगी ।

आर. पी. अहिरवार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(G-475)

विज्ञापन**CHANGE OF NAME**

It is informed to the general public that ADHVIKA MISHRA D/o Shri ABHIJEET MISHRA is mentioned in the birth certificate of my daughter which is not correct. My daughter's correct name is AARNA MISHRA D/o Shri ABHIJEET MISHRA. ADHVIKA MISHRA and AARNA MISHRA are the same person therefore in Future my daughter should be known recognized read understood and called by her correct name AARNA MISHRA.

(G-476)

ABHIJEET MISHRA
Add-HIG-43, Shivaji Nagar,
Bhopal.

CHANGE OF SURNAME

I, Dinesh Kumar Agrawal S/o Radhakrishna Agrawal hereby declare that I have changed my name as Dinesh Mittal S/o Radhakrishna Agrawal. So from now and in future I will be known by my new name.

Old Name
(Dinesh Kumar Agrawal)
S/o Radhakrishna Agrawal

New Name
(Dinesh Mittal)
S/o Radhakrishna Agrawal
Flat No. 301, Yash Pride 11-A 2X,
Scheme No. 71, Sector-C,
Indore (M.P.).

(G-477)

CHANGE OF SURNAME

I, Priti Agrawal W/o Dinesh Kumar Agrawal hereby declare that I have changed my name as Priti Mittal W/o Dinesh Mittal. So from now and in future I will be known by my new name.

Old Name
(Priti Agrawal)
W/o Dinesh Kumar Agrawal

New Name
(Priti Mittal)
W/o Dinesh Mittal
Flat No. 301, Yash Pride 11-A 2X,
Scheme No. 71, Sector-C,
Indore (M.P.).

(G-478)

CHANGE OF SURNAME

I, Shyama Devi Bhaiya hereby declare that, in my some of document my surname was Shyama Maheshwari. But in rest of my documents my surname is Shyama Devi Bhaiya. So from now and in future I will be known as Shyama Devi Bhaiya for all purposes.

Old Surname
(Shyama Maheshwari)

New Surname
(Shyama Devi Bhaiya)
9/2, North Rajmohalla, Indore (M.P.).

(G-479)

CHANGE OF SURNAME

I, Shanu Sadani hereby declare that, in my some of document my surname was Shanu Maheshwari. But in rest of my documents my surname is Shanu Sadani. So from now and in future I will be known as Shanu Sadani for all purposes.

Old Surname
(Shanu Maheshwari)

New Surname
(Shanu Sadani)
1B, Vallabh Bhawan, opp. Saint Paul School,
Indore (M.P.).

(G-480)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी पूर्व मेरा नाम सपना गर्ग पिता केदार प्रसाद गर्ग था, जिसे शादी के बाद परिवर्तित करके सपना मित्तल पति अनुराग मित्तल कर लिया था. अतः शादी के बाद मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम सपना मित्तल से ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(सपना गर्ग)
पिता केदार प्रसाद गर्ग

नया नाम
(सपना मित्तल)
पति अनुराग मित्तल

(G-481)

CHANGE OF SURNAME

I, Apeksha Sharma hereby declare that, my maiden name was Apeksha Joshi D/o. Vimal Kumar Joshi. But now after my marriage, I have changed my name as Apeksha Joshi to Apeksha Sharma W/o Shashwat Sharma. So from now and in future I will be known as Apeksha Sharma.

Old Name
(Apeksha Joshi)

New Name
(Apeksha Sharma)
A-27, County Walk Township,
Bypass Road, Near Shishukunj School,
Jhalaria, Indore (M.P.).

(G-482)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में मेरा नाम कैलाश चन्द्र गर्ग है उक्त नाम में मेरे द्वारा परिवर्तित किया जाकर अब मेरा नाम कैलाश चन्द्रा केडिया किया गया है, अब से मुझे कैलाश चन्द्रा केडिया के नाम से ही जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम
(कैलाश चन्द्र गर्ग)

नया नाम
(कैलाश चन्द्रा केडिया)

87, सम्राट अशोक नगर, इन्दौर

(G-483)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा बोलता नाम अशोक कुमार जैन पिता लखमीचंद जैन (Ashok Kumar Jain S/o Lakhmichand Jain) था जो मेरा बोलता नाम था जो कि मेरे शेयर अलॉटमेंट लेटर (Folio No. 005204), मार्कशीट, पासपोर्ट आदि दस्तावेजों पर दर्ज है जबकि मेरा वास्तविक नाम अशोक कुमार मंडलिक पिता लखमीचंद मंडलिक (Ashok Kumar Mandlik S/o Lakhmichand Mandlik) है जो कि मेरे आधार कार्ड पर दर्ज है एवं उपरोक्त दोनों नाम अशोक कुमार जैन पिता लखमीचंद जैन एवं अशोक कुमार मंडलिक पिता लखमीचंद मंडलिक एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे ही नाम है.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नए नाम अशोक कुमार मंडलिक पिता लखमीचंद मंडलिक (Ashok Kumar Mandlik S/o Lakhmichand Mandlik) से ही जाना-पहचाना, लिखा, पढ़ा व बोला जाये सो विदित हो.

पुराना नाम
(अशोक कुमार जैन)

नया नाम
(अशोक कुमार मंडलिक)

निवासी-21/A, रतलाम कोठी, इन्दौर

(G-484)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Sakshi Steels Registered office at B-33, New Loha Mandi, Scheme No. 78, Part-1, Dewas Naka, Indore (M.P.) and Registration No is IF/128/98-99 dated 15/12/1998, which was constituted vide Partnership deed executed on 23/09/1998.

In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 10/03/2023, 1. Shri Mahesh Prasad Mittal S/o. Shri Rameshwar Prasad Mittal and 2. Shri Sanjay Mittal S/o Shri Mahesh Prasad Mittal has voluntarily retired from the Partnership firm. And Smt. Anju Mittal W/o. Shri Sanjay Mittal have joined the firm as a new partner.

Now 1. Shri Ayush Mittal and 2. Smt. Anju Mittal are the running Partners in the Partnership firm

M/s. Sakshi Steels
Ayush Mittal
(Partner)

(G-485)

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ग्वालियर सिटी,
जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0001-बी-113-2022-23

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) तथा
मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक धनीराम राजपूत पुत्र स्व. श्री भगवान सिंह राजपूत निवासी सत्य नारायण का मोहल्ला बण्डाघूरा घासमण्डी ग्वालियर की ओर से अभिभाषक श्री एस.पी. चतुर्वेदी द्वारा म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत "धनीदेव बाबा देवस्थान" बण्डाघूरा ग्वालियर के नाम से न्यास पंजीयन हेतु निवेदन किया गया है ।

उक्त आवेदन पत्र के संबंध में न्याय गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है । यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हो तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि के अन्दर मेरे न्यायालय में सक्षम में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है है, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा ।

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम : "धनीदेव बाबा देवस्थान"

2. न्यास का पता : बण्डाघूरा ग्वालियर

3. चल सम्पत्ति : 11,000/- (ग्यारह हजार रूपये) नगद राशि

4. अचल सम्पत्ति : ग्राम दामोदर बाग तहसील ग्वालियर के सर्वे नम्बर 17 का भाग में
स्थित भूखण्ड 52 x 28 वर्गफीट

यह सूचना आज दिनांक 23/2/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई ।

प्रदीप सिंह तोमर, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-486)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास, अनुभाग राऊ, इन्दौर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

क्र. 1565-री.राऊ-2023

इन्दौर, दिनांक 24 मार्च 2023

फार्म-चार

1. आवेदक संतोष कुमार जैन पिता श्री बिरदीचंद जैन पता-790-बी, स्कीम नं० 71 इन्दौर द्वारा नव अपूर्व अमर वेलफेअर धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास, लोक न्यास के पंजीयन हेतु म.प्र. प्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 के अधिन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र के संलग्न राशि रुपये 5/- का चालान एवं ट्रस्ट डीड एचं शपथ पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवाध के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	" नव अपूर्व अमर वेलफेअर धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास "
पता:-	790-बी, स्कीम न० 71 इन्दौर
अचल सम्पत्ति	ट्रस्ट डीड अनुसार
चल सम्पत्ति	ट्रस्ट डीड अनुसार

आज दिनांक 24/03/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-487)

विजय कुमार मण्डलोई, अनुभाग अधिकारी.

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, शहर वृत्त, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र. 1528-रीडर-2023

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1)]

पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल]

1. आवेदक श्री महंत ओमानंद निवासी कात्यायनी शक्ति पीठ, विधायक विश्रामगृह खण्ड 3 के सामने मालवीय नगर भोपाल द्वारा "कल्याण सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट" को ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र सूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

2. एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें अथवा स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उपयुक्त अवाधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता

कार्यालय का पता

अचल सम्पत्ति

चल सत्पत्ति

"कल्याण सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट"

कात्यायनी शक्ति पीठ, विधायक विश्रामगृह खण्ड 3 के सामने मालवीय नगर भोपाल

निरंक

11,000/-

(G-488)

जमील खान, रजिस्ट्रार.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. बी-113-22-23

विदिशा, दिनांक

प्ररूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) देखिये]

आवेदक मुकेश बाबू पुत्र श्री मुन्नालाल शर्मा निवासी ग्राम सतपाड़ा सराय तहसील विदिशा द्वारा पंडित मुन्नालाल शास्त्री (श्रीराम जानकी मंदिर) पारमार्थिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1951(1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 27/04/23 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियाँ करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है।

अतः मैं पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 27/04/23 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई भी न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. लोक न्यास का नाम और पता - | पंडित मुन्नालाल शास्त्री (श्रीराम जानकी मंदिर)
पारमार्थिक ट्रस्ट ग्राम सतपाड़ा सराय तहसील विदिशा |
| 2. चल सम्पत्ति - | निरंक |
| 3. अचल सम्पत्ति - | निरंक |

(G-489)

गोपाल सिंह वर्मा, रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ,
जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

क्र. 712-उपखण्ड-री-1-22

मन्दसौर, दिनांक 27 मार्च 2023

नियम-चार

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2)
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) देखिये]

चूंकि आदिगौड व्यास ब्राम्हण कुलदेव परिसर विकास न्यास झलारा (नाहरगढ़) जिला मन्दसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 27/4/23 को विचार के लिए जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

* राजेश शाह
अतः मैं पंजीयक लोक न्यास सीतामऊ जिला मन्दसौर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 27/4/23 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्ताव करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों का विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

न्यास की सम्पत्ति का विस्तृत विवरण -

1. अचल सम्पत्ति - इस ट्रस्ट की अचल सम्पत्ति ग्राम झलारा में कुण्डेश्वर महादेव परिसर में स्थित कुल देव व कुल देवी के मन्दिर तथा इसी भूमि के समीप भूमि सर्वे नम्बर 40 रकबा 0.07 हेक्टर आद्यगौड व्यास ब्राम्हण समाज ग्राम झलारा जो दानदाताओं द्वारा द्वारा क्रय की गई।
2. चल सम्पत्ति - बैंक ऑफ बडोदा शाखा मन्दसौर में संचालित खाता क्रमांक 87900003640 में जमा राशि रु. 4.78 लाख
3. लोक न्यास का नाम - आदि गौड व्यास ब्राम्हण कुलदेव परिसर विकास न्यास झलारा (नाहरगढ़) म.प्र. जिला मन्दसौर

(G-490)

राजेश शाह, अनुविभागीय अधिकारी

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, बागली, जिला देवास, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 727-बी-113-2022-23

बागली, दिनांक 7 मार्च 2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (क-30) की धारा 05 एवं उप धारा 02 तथा म.प्र. एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा न्यास अधिनियम 1962 का नियम 05 (1) अनुसार आवेदक अध्यक्ष श्री भेरूलाल पिता सालम जी मालवीय एवं सचिव राधेश्याम पिता मोहनलाल जी परमार ग्राम नेवरी, तहसील हाटपीपल्या, जिला देवास, म.प्र. द्वारा मालवीय बलाई समाज उत्थान ट्रस्ट अम्बेड़कर मोहल्ला नेवरी, तह.हाटपीपल्या जिला देवास म.प्र.

के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया जिसका प्रकरण क्रमांक / बी-113/2022-23 पर दर्ज है उक्त न्यास के पंजीयन पर किसी व्यक्ति संस्था, संगठन, आदि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति दिनांक 07/03/23..... से 30 दिवस के अंदर मेरे न्यायालय में कार्य दिवस के समय 10:30 बजे उपस्थित होकर मय दस्तावेज के स्वयं किया अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से पेश करे। बाद म्याद दावा आपत्ति मान्य नहीं होकर न्यास का पंजीयन कर दिया जावेगा।

शोभाराम सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-491)

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. बी-113-2022-23

(नियम-पांच 1 देखिए)

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत]

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयन बुरहानपुर जिला-बुरहानपुर के समक्ष श्री विश्वेश्वर हनुमान मंदिर ट्रस्ट बस स्टैंड (पुष्पक बस स्टैंड) तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र. द्वारा सचिव शंकरलाल सोनी पिता बाबूलाल सोनी निवासी म.नं. एन.सी./85 वार्ड नंबर 41 पुरानी इंदिरा कॉलोनी तहसील व जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए "लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है। एतद द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2023 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा।

-अनुसूची-

(लोक न्यास का नाम और पता संपत्ति का विवरण)

5. श्री विश्वेश्वर हनुमान मंदिर ट्रस्ट बस स्टैंड तहसील व जिला बुरहानपुर।
6. वर्किंग ट्रस्टी अध्यक्ष- पंडित नरेन्द्र पगारे जी पिता रामचन्द्र पगारे निवासी- म.नं.82 वार्ड मोहम्मदपुरा बोरगांव खूर्द तहसील व जिला बुरहानपुर, वर्तमान पता पन्ना साईं नगर ग्राम लोधीपुरा तहसील व जिला बुरहानपुर।
7. चल संपत्ति-निरंक।
8. अचल संपत्ति-निरंक।

जारी दिनांक-15.03.2023

दीपक चौहान, पंजीयक

(G-492)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, एम.पी.नगर,
वृत्त भोपाल, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 03-बी-113-2022-23

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2023

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1)]

पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत समक्ष रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल]

आवेदक न्यासी प्रफुल्ल माहेश्वरी नवभारत चेरीटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री हर्षवर्धन माहेश्वरी पिता श्री सन्दीप माहेश्वरी प्रबन्ध ट्रस्टी मुख्य कार्यालय का पता-नवभारत प्रेस 3 इन्दिरा प्रेस काम्पलेक्स राम गोपाल माहेश्वरी मार्ग जोन-1 एमपी नगर तहसील हुजूर भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर "प्रफुल्ल कुमार माहेश्वरी नवभारत चेरीटेबल ट्रस्ट" नवभारत प्रेस 3 इन्दिरा प्रेस काम्पलेक्स राम गोपाल माहेश्वरी मार्ग जोन-1 एमपी नगर तहसील हुजूर भोपाल का पंजीयन करने हेतु निवेदन किया है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 17/04/2023 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट या संपत्ति में हित रखता हो एवं कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित दो प्रतियों में इस विज्ञापित के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

// अनुसूची //

ट्रस्ट का नाम	:-	प्रफुल्ल माहेश्वरी नवभारत चेरीटेबल ट्रस्ट
कार्यालय का पता	:-	नवभारत प्रेस 3 इन्दिरा प्रेस काम्पलेक्स राम गोपाल माहेश्वरी मार्ग जोन-1 एमपी नगर तहसील हुजूर भोपाल
अचल संपत्ति	:-	निरंक
चल संपत्ति	:-	50,000/- (पचास हजार रुपये)

राजेश गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-493)

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, शहर वृत्त, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र. 1470-रीडर-2023

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2023

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1)

पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत समक्ष रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल]

आवेदक श्री सै. आमिर रिजवी अफ. एस एम आसिफ रिजवी निवासी 50 मेन मार्केट जहांगीराबाद भोपाल द्वारा "राहबर वेलफेयर ट्रस्ट" को ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र सूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 16/03/2023 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में नियत अवधि 16/03/2023 तक स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता
कार्यालय का पता

अचल सम्पत्ति
चल सम्पत्ति

"राहबर वेलफेयर ट्रस्ट"

50 मेन मार्केट, जहांगीराबाद, भोपाल एवं 10 बाल विहार रोड, भोपाल टाकीज के पास, भोपाल

कुछ नहीं।

6000/- (छ: हजार रुपये)

जमील खान, रजिस्ट्रार.

(G-494)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग पुनासा,
जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. बी-113(1)-2022-23

खण्डवा, दिनांक 17 मार्च 2023

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2)
एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

आवेदक श्री भारतसिंह पिता राजाराम गोयल निवासी ग्राम नर्मदानगर तह. पुनासा जिला खंडवा वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष द्वारा " श्री राधाकृष्ण गोशाला समिति नर्मदानगर तह. पुनासा जिला खंडवा म.प्र." का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया। एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय मे दिनांक 21.04.2023 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों मे प्रस्तुत कर सकता है। और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

— अनुसूची —

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता—: " श्री राधाकृष्ण गोशाला समिति नर्मदानगर तह.
पुनासा जिला खंडवा म.प्र." .

पता—: "श्री राधाकृष्ण गोशाला समिति नर्मदानगर तह.
पुनासा जिला खंडवा म.प्र."

—अनुसूची "अ" —

चल संपत्ति :-

नगद — 10000-00 रूपये

—अनुसूची "ब" —

अचल संपत्ति:-

-- निरंक --

चन्द्रसिंह सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-495)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

पृ. क्र. 426-रीडर-1-प्र.क्र.-बी-113(1)-2022-23

नीमच, दिनांक 15 मार्च 2023

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 उपधारा (2)
और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) देखिये]

चूंकि श्री मनसुखलाल पिता मदनलाल जैन, निवासी-चीताखेड़ा तहसील जीरन द्वारा "श्री आंवरी माताजी मंदिर विकास समिति ट्रस्ट" माताजी का खेड़ा चीताखेड़ा म.प्र.लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन लोक न्यास पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है ।

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 13 अप्रैल, 2023 को विचार के लिए लिया जावेगा ।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है ।

अतः मैं डॉ. ममता खेड़े पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, म.प्र. का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 13 अप्रैल, 2023 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए । उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा ।

// अनुसूची //

लोक न्यास का नाम व पता :- "श्री आंवरी माताजी मंदिर विकास समिति ट्रस्ट"
माताजी का खेड़ा चीताखेड़ा
लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण :- ग्राम चीताखेड़ा सर्वे नंबर 171 रकबा 0.10 हेक्टर
चल सम्पत्ति :- रु.11000/- (अक्षरी रूपये ग्यारह हजार मात्र)

ममता खेड़े, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-496)

पृ. क्र. 5195-रीडर-1-प्र.क्र. 04-बी-113(1)-2022-23

नीमच, दिनांक 13 दिसम्बर 2022

चूँकि श्री निर्मलदेव नरेला पिता अर्जुन देव नरेला निवासी-नया बाजार नीमच द्वारा "श्री गौ-धाम सेवा न्यास नीमच जिला नीमच" लोक न्यास पंजीयन हेतु म.प्र.लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन लोक न्यास पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है ।

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 05 जनवरी, 2023 को विचार के लिए लिया जावेगा ।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है ।

अतः मैं डॉ.ममता खेड़े पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, म.प्र. का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 05 जनवरी, 2023 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करती हूँ ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए । उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा ।

// अनुसूची //

लोक न्यास का नाम व पता

:- "श्री गौ-धाम सेवा न्यास नीमच जिला नीमच"

बंगला नंबर 60 के पास एवं माहेश्वरी समाज को आबटित भूमि के पास में स्थित नगरपालिका नीमच में स्थित है ।

लोक न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण :- निरंक

चल सम्पत्ति :- निरंक

ममता खेड़े, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक

(G-497)

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, शाजापुर,
जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0001-बी-113-2022-23

प्रारूप-चार

[नियम 5(1) देखें]

[मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2)
(1951 का 30) और मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक न्यास, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक श्री नरेन्द्रनाथ पाण्डेय जिला शाजापुर के समक्ष

जबकि श्री मनोहर लाल राय पिता श्री सुखलाल राय निवासी वार्ड कं 22 वैकुण्ठनाथ गल
धानमंडी शाजापुर तहसील शाजापुर जिला शाजापुर ने मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम
1951 की धारा 5 (2)(1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये एक
आवेदन लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये किया है एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि
उक्त आवेदन 2022-23 के दिनांक 14.02.2023 पर मेरे द्वारा न्यायालय के विचारण में लिया जाएगा

अतः मैं श्री नरेन्द्रनाथ पाण्डेय जिला शाजापुर के लोक न्यासों का रजिस्ट्रार, अपने न्यायालय
में दिनांक 14.02.2023 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप- धारा (1) के द्वारा अपेक्षित जाँच कर
की प्रस्थापना करता हूँ।

किसी आपत्तियों (या सुझाव) को करने का आशय रखते हुए उक्त न्यास या संपत्ति व
मामले में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर
दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समझ उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिगत
अथवा वकील द्वारा या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान व
उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम हैहय क्षत्रिय कलचुरी कलाल समाज ट्रस्ट शाजापुर जिला शाजापुर म.प्र.

परिशिष्ट " अ "

न्यास की चल संपत्ति का विवरण

नगदी 253000/- दो लाख तिरपन हजार रुपये

परिशिष्ट " ब "

न्यास की अचल संपत्ति का विवरण

निरंक

आज दिनांक 17.01.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

नरेन्द्रनाथ पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-498)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

क्र. उपसि-विधि-113-2022-23-1511

सिवनी, दिनांक 1 मार्च 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (ए/क) (1) के तहत]

आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्या पहाड़ी (जिसे आगे केवल संस्था कहा जावेगा) पंजीयन क्रमांक 815 दिनांक 05.09.2007 की विगत वर्षों की अंकेक्षण टीपो का अवलोकन किया गया। जिसमे वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2021-22 की अंकेक्षण टीपो में अंकेक्षको द्वारा उक्त समिति को "ड" वर्ग में रखा गया है तथा संस्था को परिसमापन में लाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है। संस्था की अंकेक्षण टीपो से यह स्पष्ट है कि उक्त संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था द्वारा अपने उपविधियों के उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है। इससे संस्था के कार्यक्षेत्र में शामिल ग्रामों में उपलब्ध जलक्षेत्रों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपसि/विधि/2023/203 सिवनी दिनांक 25.01.2023 के द्वारा म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(ए/क) के प्रावधानों के तहत संस्था के संचालक मंडल को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जाकर सुनवाई दिनांक 06.02.2023 रखी गयी थी। लेकिन निर्धारित दिनांक को संस्था की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है तथा वह संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही से सहमत है। चूंकि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है तथा जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संस्था पंजीकृत की गयी थी, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है। इसलिये मेरे यह समाधान हो गया है कि संस्था के सदस्य निष्क्रिय एवं उदासीन है तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में संस्था के अपने अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य न होने के कारण संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि संस्था के कार्यक्षेत्र में शामिल ग्रामों में अन्य संस्था का पंजीयन हो सके एवं लोग लाभांवित हो सके।

अतएव म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह/1/सी दिनांक 26.07.1999 एवं म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(ए/क)(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाये सिवनी, आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्या पहाड़ी पंजीयन क्रमांक 815 दिनांक 05.09.2007 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) एतद् द्वारा समाप्त करता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा 18 (ए/क)(2) के तहत संस्था की सम्पत्तियों, आस्तियों, पुस्तकों, अभिलेखों एवं अन्य दस्तावेजों का प्रभार लेने एवं आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु श्री वी वी शर्मा, सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाये सिवनी को शासकीय समानुदेशिनी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से आज दिनांक 01.03.2023 को जारी किया गया।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्र. साख-शह. साख-2022-414

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2022

कारण बताओं सूचना पत्र अंतर्गत म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3)।

—000—

इलाहाबाद बैंक अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी साख सहकारिता मर्यादित भोपाल म.प्र., 4/59 छत्रसाल नगर फेस-02 जे.के. रोड़ भोपाल पंजीयन क्रमांक/मुख्यालय/साख/एस.एस.-02/04/02 दिनांक 15.09.2004 के अंकेक्षक श्रीमती नन्दा श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा वर्ष 2019-20 का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि संस्था के 2005 के पश्चात निर्वाचन नहीं हुए है। संस्था स्वायत सहकारिता अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत है, जो म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के नवीन प्रावधान अनुसार नवीन पंजीयन क्रमांक जारी नहीं हुआ है। संस्था संचालक मंडल द्वारा संस्था के कार्य में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। अधिकांश सदस्यों द्वारा रिटायर्ड होने के पश्चात अपनी सदस्यता समाप्त कर ली गयी है। संस्था के वर्तमान अध्यक्ष भी अपने नौकरी कार्य से अधिकांश समय भोपाल से बाहर रहते है। संस्था में नवीन सदस्य नहीं जुड़ रहे न ही निर्वाचन हेतु कोई सदस्य जिम्मेदारी ले रहा है। अध्यक्ष द्वारा संस्था के परिसमापन हेतु अपनी अनुशंसा की गई है।

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 9-ए/क विद्यमान सहकारिताओं की व्यावृत्ति-

1. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी म.प्र. स्वायत सहकारिता अधिनियम 1999(निरसित अधिनियम) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारिताएँ, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों और बनायी गयी उपविधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गयी समझी जाएंगी। जहाँ तक की वे इस अधिनियम के अभिव्यक्त उपबंधों से असंगत न हों, निरंतर बनी रहेंगी तब तक की वे परिवर्तित या विखंडित न कर दी जाए।
2. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक सहकारी सोसायटी, म.प्र. सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम 2012 के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर, ऐसी उपविधियां निरसित या संशोधित करेगी, जो इस संशोधन अधिनियम के उपबंधो से असंगत हैं तथा इस संशोधन अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ऐसी अतिरिक्त उपविधियां बनाएगी जैसा कि आवश्यक हो।

इस प्रकार धारा 9-ए/क (2) अंतर्गत कार्यवाही भी पूर्ण न कर संचालक मंडल संस्था के परिचालन हेतु रुचिवान नहीं है।

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 9-ए/क (1) के अनुक्रम में म.प्र. स्वायत सहकारिता अधिनियम 1999 (निरसित अधिनियम) विरक्त हो जाने से यह संस्था म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 9 अंतर्गत पंजीकृत समझी जाएगी। यह संस्था म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अंतर्गत पंजीकृत समझी जाने से इस अधिनियम के समस्त प्रावधान संस्था पर लागू होंगे।

अतः निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है:-

1. संस्था के अधिकांश सदस्यों का स्थानांतरण एवं सेवानिवृत्ति होने के कारण तथा कुछ सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से सदस्यता से त्याग पत्र दिये जाने के कारण सदस्यता समाप्त कर दी गयी है। संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा उपविधि क.03 के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है।
2. संस्था अध्यक्ष द्वारा भी संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लेख किया गया है।
3. संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 के अनुसार संस्था द्वारा कोई आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
4. संस्था ने अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन प्रावधानित शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया है।
5. धारा 9-ए/क (2) अंतर्गत कार्यवाही भी पूर्ण न कर संचालक मंडल संस्था के परिचालन हेतु रुचिवान नहीं है।
6. संस्था अपने सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के लिये कोई कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं बृजेश शरण शुक्ल, संयुक्त पंजीयक, कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ म.प्र. भोपाल, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त सहकारी संस्था इलाहाबाद बैंक अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी साख सहकारिता मर्यादित भोपाल म.प्र., पंजीयन क्रमांक/मुख्यालय/साख/एस.एस.-02/04/02 दिनांक 15.09.2004 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मैं बृजेश शरण शुक्ल, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ म.प्र. भोपाल म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ./5-1-99-पन्द्रह-1 ए दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ म.प्र. की शक्तियों का उपयोग करते हुए म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत इलाहाबाद बैंक अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी साख सहकारिता मर्यादित भोपाल म.प्र., पंजीयन क्रमांक/मुख्यालय/साख/एस.एस.-02/04/02 दिनांक 15.09.2004 के परिसमापन हेतु यह कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर यह निर्देशित करता हूँ कि यह 15 दिवस की अवधि में कारण बताये कि उक्तानुसार दर्शित कारणों से उक्त सोसायटी को क्यों न परिसमापन में लाया जाये। यदि आपके द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई समाधानकारक उत्तर नहीं दिया जाता तो यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना, एक पक्षीय कार्यवाही की जा सकती है।

(आयुक्त सहकारिता द्वारा अनुमोदित)

(G-500)

बृजेश शरण शुक्ल, संयुक्त पंजीयक.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विक्रम सिंह चौहान, दसवीं, बारहवीं एवं स्नातक अंकसूची, पेनकार्ड, आधार कार्ड में अंकित है, जबकि मेरी पांचवी की अंकसूची में मेरा नाम विक्रम सिंह अंकित है, उक्त दोनों नाम मेरे हैं. कृपया दसवीं, बारहवीं, स्नातक की अंकसूची एवं पेनकार्ड, आधारकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में विक्रम सिंह करवाना चाहता हूं. मुझे भविष्य में सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में विक्रम सिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं सम्बोधित किया जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम
(विक्रम सिंह चौहान)
S/o श्री प्रताप सिंह

नया नाम
(विक्रम सिंह)
S/o श्री प्रताप सिंह
पता-रानीपुरा, हरिदर्शन स्कूल के पीछे,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-501)

CHANGE OF NAME

I, PUNAM SHARMA D/o SHIVDULARE SHARMA hereby declare that after marriage I have changed my name as POONAM TIWARI W/o. NITIN TIWARI so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name
(PUNAM SHARMA)
D/o SHIVDULARE SHARMA

New Name
(POONAM TIWARI)
W/o NITIN TIWARI
Add-137, Dhanvantri Nagar,
202, Chanakya Appt.
Indore (M.P.).

(G-502)

CHANGE OF NAME

I, MEENA JOSHI D/o RAMCHANDRA JOSHI hereby declare that after marriage I have changed my name as MEENA SHARMA W/o JAGDISH SHARMA so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name
(MEENA JOSHI)
D/o RAMCHANDRA JOSHI

New Name
(MEENA SHARMA)
W/o JAGDISH SHARMA
Add-50, Jai Bhawani Nagar,
Panchkuiya Road, Indore (M.P.).

(G-503)

CHANGE OF NAME

I, HEMA MODI D/o. RAJKUMAR MODI hereby declare that after marriage I have changed my name as HEMA BHANDARI W/o. SHARAD BHANDARI so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name
(HEMA MODI)
D/o RAJKUMAR MODI

New Name
(HEMA BHANDARI)
W/o. SHARAD BHANDARI
Add-8/11, Yeshwant Niwas Road,
Opp. Samta Bhawan, Indore (M.P.).

(G-504)

CHANGE OF NAME

I, RACHANA JAIN D/o. SURESHCHANDRA JAIN hereby declare that after marriage I have changed my name as RACHANA GUPTA W/o SUSHIL KUMAR GUPTA so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name
(RACHANA JAIN)
D/o. SURESHCHANDRA JAIN

New Name
(RACHANA GUPTA)
W/o SUSHIL KUMAR GUPTA
Add-252, Naya Was Mohalla,
Ward No. 04, Sheopur (M.P.).

(G-505)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम आनंद कुमार (ANAND KUMAR) पिता श्री शिवनारायण मीना (SHIVNARAYAN MEENA) निवासी-म.नं. 54, वार्ड-3, ग्राम-घट्टी मुख्यारपुर, पोस्ट मनसाया, तहसील कालापिपल, जिला-शाजापुर (म.प्र.) है. अब जो सही होकर अब आनंद मीना (ANAND MEENA) हो गया है. उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होकर मेरे ही हैं.

पुराना नाम
(आनंद कुमार) (ANAND KUMAR)

नया नाम
(आनंद मीना) (ANAND MEENA)

(G-506)

नाम परिवर्तन

यह कि मैं, शपथकर्ता वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दीनदयाल नगर, जिला ग्वालियर में रसायनज्ञ के पद पर कार्यरत हूं तथा मेरी सेवा पुस्तिका, सर्विस रिकॉर्ड एवं अन्य रिकॉर्ड में मेरा नाम अरविंद कुमार आदिवासी अंकित हो गया है जिसके स्थान पर मैं, अपने नाम में परिवर्तन करके नाम अरविंद कुमार क्षे. कार्या. म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दीनदयाल

नगर, ग्वालियर की सेवा पुस्तिका, सर्विस रिकॉर्ड एवं अन्य रिकॉर्ड में दर्ज करवाना है. जो कि दोनों नाम मेरे हैं. अतः भविष्य में भी मुझे अरविंद कुमार के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(अरविंद कुमार आदिवासी)

(G-507)

नया नाम
(अरविंद कुमार)
S/o श्री रामसेवक
निवासी-क्वार्टर नं. 206, मोहन नगर,
ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.)

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म निर्मला मिनरल्स, पता-यश टावर, पाठक वार्ड, मुरवारा, कटनी-483501 (म.प्र.) के भागीदार श्री वरुण कुमार गौतम आत्मज श्री राजेन्द्र कुमार गौतम, दिनांक 07-10-2021 फर्म से अलग (पृथक्) होते हैं.

(G-508)

फर्म निर्मला मिनरल्स
यश पाठक
(भागीदार)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that ALOK ALLIED AGENCIES, a registered partnership firm (Regn. No-04/18/01/0022/13) having office at Deewan Mahal, Gandhi Chowk, Shukrawari, Seoni has been dissolved *vide* partnership deed dated 23-03-2023.

This public notice is being published for the purpose of registration of closure and dissolution of the firm with the office of Registrar of Firms and Society.

For M/s. Alok Allied Agencies
Ankit Nahar
(Partner)

(G-509)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स फर्म फ्यूल सेंटर, सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.), पंजीयन क्रमांक IF/81/03-01 सन् 2003 की दिनांक 07 अक्टूबर 2003 पंजीकृत फर्म है, यह कि संशोधित भागीदार अभिलेख दिनांक 14 मार्च 2023 के अनुसार श्री शिवनारायण परवाल पिता रामेश्वर जी परवाल जो दिनांक 14 मार्च 2023 को वृद्धावस्था होने के कारण व अपनी अक्षमता के कारण सेवा सेवानिवृत्त होना चाहते हैं और फर्म में अपनी जगह अपनी बहू श्रीमती अर्चना परवाल पति अभय कुमार परवाल को इस भागीदारी फर्म में 14 मार्च 2023 को सम्मिलित शामिल किया गया.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स फर्म फ्यूल सेंटर पंजीयन क्रमांक IF/81/03-01 सन् 2003 की दिनांक 07 अक्टूबर 2003, पंजीकृत फर्म है, यह कि संशोधित भागीदार अभिलेख दिनांक 14 मार्च 2023 के अनुसार श्री शिवनारायण परवाल पिता श्री रामेश्वर जी परवाल को उक्त फर्म से रिक्त किया जाता है. उक्त फर्म में परिवर्तित भागीदार, नये एवं निर्वत भागीदार से फर्म से संबंधित कोई लेन-देन, वाद-विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार की आपत्ति हो वह सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर मय दस्तावेज मेरे कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें, समय व्यतीत होने के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति उक्त फर्म पर बंधनकारी नहीं होगी.

मेसर्स फर्म फ्यूल सेंटर

अर्चना परवाल

अमय कुमार परवाल

(भागीदार)

125, रामेश्वरम गोस्वामी तुलसीदास मार्ग,

इंदौर-खंडवा रोड, सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)

(G-510)

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म आनंद माइनिंग कार्पोरेशन, पता-यश टावर, पाठक वार्ड, मुरवारा, कटनी-483501 (म.प्र.) के भागीदार श्री वरुण कुमार गौतम आत्मज श्री राजेन्द्र कुमार गौतम, दिनांक 07-10-2021 फर्म से अलग (पृथक्) होते हैं.

फर्म आनंद माइनिंग कार्पोरेशन

यश पाठक

(भागीदार)

(G-511)

CHANGE OF NAME

We, Mr. Chandrakant Narayan Ambig and Mrs. Biswajeeta Tripathy Ambig residing at No 4, Shubhalay, E-8, Arera Colony, Bhopal, hereby notify for the information of all concerned authorities and public that we have changed the name of our 2 daughters, Dia Chandrakant Ambig and Anuradha Chandrakant Ambig With immediate effect Dia Chandrakant Ambig will be known and called as Dia Chandrakant and Anuradha Chandrakant Ambig will be known and called as Anuradha Chandrakant.

Old Name

Dia Chandrakant Ambig

Anuradha Chandrakant Ambig

New Name

Dia Chandrakant

Anuradha Chandrakant

(G-512)

नाम परिवर्तन

मैं, शम्मी राजावत पत्नी श्री राजेश सिंह राजावत सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पति का घर का बोलता नाम सुनील राजावत था जो कि मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 202189701 में लिख गया है. जबकि वर्तमान में मेरे पति का नाम श्री राजेश सिंह राजावत है और वह इसी नाम से जाने व पहचाने व पुकारे जाते हैं एवं मेरे सभी दस्तावेज जैसे-पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि में मेरे नाम के साथ मेरे पति का नाम राजेश सिंह राजावत लिखा गया है, सुनील राजावत एवं राजेश राजावत दोनों मेरे पति के ही नाम हैं. अतः मेरे बीमा पॉलिसी क्रमांक 202189701 में मेरे नाम शम्मी राजावत पत्नी श्री सुनील राजावत के स्थान पर शम्मी राजावत पत्नी श्री राजेश सिंह राजावत लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम

(शम्मी राजावत पत्नी सुनील राजावत)

नया नाम

(शम्मी राजावत पत्नी श्री राजेश राजावत)

ग्राम परसराय का पुरा, नुंहाटा, भिण्ड (म.प्र.).

(G-513)

CHANGE OF NAME

I, Mrs. Gauri Kataria W/o Mr. Gopal Kataria R/o 553/38, Gali No.01, Rani Talab, Rewa (M.P.) hereby declare that before marriage my name was Ku. Lata Poptani D/o Mr. Heman Das Sindhi. I, got married according to Hindu customs on dt. 09th May 2002 with Mr. Gopal Kataria & After Marriage my name has been changed as Mrs. Gauri Kataria W/o Mr. Gopal Kataria, after marriage I known as Mrs. Gauri Kataria W/o Mr. Gopal Kataria for all purposes on every records.

Old Name

(LATA POPTANI)

New Name

(GOURI KATARIA)

Resident of 553/38, Gali No.01,
Rani Talab, Rewa (M.P.).

(G-514)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे विवाह के पूर्व का नाम पार्वती शर्मा था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में जैसे-हाईस्कूल, इंटरमीडियेट, बी.ए. फाईनल, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (जर्नलिज्म) तथा बैंक पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवासी आदि दस्तावेजों में दर्ज है तथा मेरे द्वारा कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज पार्वती शर्मा के नाम लगावाये गये हैं. मैंने अपना नाम बदलकर पार्वती शर्मा के स्थान पर उमा शर्मा पत्नी कमलेश कुमार शर्मा रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम

(पार्वती शर्मा)

नया नाम

(उमा शर्मा)

पत्नी-श्री कमलेश कुमार शर्मा
निवासी-171, कर्मचारी आवास कॉलोनी,
महलगांव, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-515)

नाम परिवर्तन

मैं, सूखवन्त कौर (Sukhvant Kour) पत्नी प्रकाश सिंह सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम (Sukhvant Kour) है। जबकि मेरी बेटी ABHIJEET KAUR एवं बेटे KARANJEET KAUR के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के सी.बी.एस.सी. की हाईस्कूल मार्कशीट में मेरे नाम के स्पेलिंग में Sukwant Kaur गलती से लिख गया है जबकि वर्तमान में मेरा नाम Sukhvant Kour है जो मेरे आधारकार्ड, वोटरकार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है तथा मैं Sukhvant Kour के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी Sukhvant Kour के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाऊँगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी। अतः मेरी बेटी ABHIJEET KAUR एवं बेटे KARANJEET KAUR के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सी.बी.एस.सी. की हाईस्कूल मार्कशीट में मेरे नाम की स्पेलिंग Sukwant Kaur के स्थान पर सही स्पेलिंग Sukhvant Kour लिखी एवं पढ़ी जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

i ꣳukule
(SUKWANT KAUR)

u; kule
(SUKHVANT KOUR)

W/o Prakash Singh

निवासी-किला गेट के सामने, राजेन्द्र डेयरी के पास,
145अ. विनय नगर, ग्वालियर.

(G-516)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रिया मोहिते (PRIYA MOHITE) पुत्री श्री लक्ष्मण राव मोहिते मेरे द्वारा नाम परिवर्तन सूचना प्रकाशन हेतु आवेदन किया गया था। जिसमें मेरी टाईपिंग त्रुटि के कारण प्रिया के स्थान पर प्रिय अंकित हो गया था। जिसका प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 20 जनवरी 2023 को G-44 पर हो गया है।

शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम श्रुष्टि मोहिते (SHRISHTI MOHITE) अंकित है वर्तमान में मुझे प्रिया मोहिते पुत्री श्री लक्ष्मण राव मोहिते के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है। प्रिया मोहिते एवं श्रुष्टि मोहिते दोनों मेरे ही नाम हैं। भविष्य में मुझे प्रिया मोहिते के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊँगी व हस्ताक्षर करती रहूँगी। अतः मेरी सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम प्रिया मोहिते पुत्री श्री लक्ष्मण राव मोहिते लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम
(श्रुष्टि मोहिते)

नया नाम
(प्रिया मोहिते)

पुत्री-श्री लक्ष्मण राव मोहिते,
पता- JM 52/2A, DURGA NAGAR,
SHAKTI NAGAR, BHOPAL.

(G-517)

CHANGE OF NAME

I, Army No. JC-772324N, Rank-SUB, Name KAILASH SINGH Residing at H.No.63, Devlok Colony, C.T.O Bairagarh, Bhopal, Madhya Pradesh Pin Code-462030 have changed my name from KAILASH SINGH to KAILASH SINGH GUSAIN.

Old Name
(कैलाश सिंह)
(KAILASH SINGH)

New Name
(कैलाश सिंह गुसाईं)
(KAILASH SINGH GUSAIN)

Add:- H.No.63, Devlok Colony, C.T.O Bairagarh,
Bhopal, Madhya Pradesh.

(G-518)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा- नाम Suraj Samrawat मेरे पिता का नाम Devlal Samrawat तथा मेरी माता का नाम Lila Devi Samrawat है. परन्तु मेरी कक्षा 10वीं में हमारे नाम Suraj Samravat, Leela Devi एवं Devi Lal Samravat दर्ज है, जो कि गलत है. मेरी कक्षा 12वीं की अंकसूची में तथा मेरे बाकी सभी दस्तावेजों में मेरा नाम Suraj Samrawat मेरे पिता का नाम Devlal Samrawat तथा मेरी माता का नाम Lila Devi Samrawat अंकित है, जो कि हमारे सही नाम हैं. जिस कारण से मैं अपनी कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरा सही नाम Suraj Samrawat मेरे पिता का नाम Devlal Samrawat तथा मेरी माता का नाम Lila Devi Samrawat दर्ज करवाना चाहता हूँ. भविष्य में हमें इन्ही नामों से जाना, पहचाना, पढ़ा-लिखा व समझा जाये.

पुराना नाम
Suraj Samravat
Leela Devi
Devi Lal Samravat

नया नाम
Suraj Samrawat
Lila Devi Samrawat
Devilal Samrawat

(G-519)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मैं, प्रदीप कुमार जैन आ. निर्मल कुमार जैन, प्रदीप जैन, आयु-47 वर्ष, निवासी-म.नं-18, गली नम्बर-3, गूजरपुरा, भोपाल का सूचित करता हूँ कि मेरा नाम पहले प्रदीप जैन धारीवाल था, परन्तु वर्तमान में अब मेरा नाम प्रदीप कुमार जैन हो गया है. मेरे समस्त दस्तावेजों में जैसे-पेनकार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक एवं मार्कशीट में भी मेरा नाम प्रदीप कुमार जैन ही चला आ रहा है और मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है और भविष्य में मुझे प्रदीप कुमार जैन के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

प्रदीप कुमार जैन,
पिता-निर्मल कुमार जैन.

(G-520)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मैं, श्रीमती निशा जैन पत्नी श्री प्रदीप कुमार जैन, प्रदीप जैन, आयु-44 वर्ष, निवासी-म.नं-18, गली नम्बर-3, गूजरपुरा, भोपाल को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम पहले निशा जैन धारीवाल था, परन्तु वर्तमान में अब मेरा नाम निशा जैन हो गया है. मेरे समस्त दस्तावेजों में जैसे पेनकार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक एवं मार्कशीट में भी मेरा नाम निशा जैन ही चला आ रहा है और मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है और भविष्य में मुझे निशा जैन के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

निशा जैन,
पत्नी-प्रदीप कुमार जैन.

(G-521)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मेरी पुत्र प्रदीप कुमार जैन आ. निर्मल कुमार जैन, प्रदीप जैन, आयु-47 वर्ष, निवासी-म.नं-18, गली नम्बर-3, गूजरपुरा, भोपाल को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री का नाम इशिका जैन था, किन्तु उसके स्कूल में इशिका जैन धारीवाल हो गया है. जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र में इशिका जैन आ. प्रदीप कुमार जैन एवं माता श्रीमती निशा जैन ही अंकित है. मेरी पुत्री इशिका जैन जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र में नाम अंकित है के नाम से ही जानी व पहचानी जाती है और भविष्य में भी इशिका जैन के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

प्रदीप कुमार जैन,
पिता-निर्मल कुमार जैन.

(G-522)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम नेहा अग्रवाल पिता महेश अग्रवाल (Neha Agrawal D/o Mahesh Agrawal) था. जो शादी के बाद बदल कर अर्पिता मंगल पति अमित मंगल (ARPITA MANGAL W/o Amit Mangal) हो गया है जो कि मेरे आधार कार्ड एवं पासपोर्ट पर दर्ज है तथा उपरोक्त दोनों नाम नेहा अग्रवाल पिता महेश अग्रवाल (Neha Agrawal D/o Mahesh Agrawal) एवं अर्पिता मंगल पति अमित मंगल (ARPITA MANGAL W/o Amit Mangal) एक ही महिला अर्थात् मेरे हैं.

अतः भविष्य में सभी व्यवहारों में मुझे मेरे नए नाम अर्पिता मंगल पति अमित मंगल (ARPITA MANGAL W/o AMIT MANGAL) से ही जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा व बोला जाये. सो विदित हो.

पुराना नाम
(नेहा अग्रवाल पिता महेश अग्रवाल)

नया नाम
(अर्पिता मंगल पति अमित मंगल)
निवासी-294, प्रोफेसर कॉलोनी, पटेल नगर,
इंदौर.

(G-523)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती ज्योति कुशवाह पत्नी श्री कैलाश कुशवाह है सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम रक्षा बाई कुशवाह पुत्री श्री प्रेमनारायण कुशवाह दर्ज है एवं मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय, शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे नाम श्रीमती ज्योति कुशवाह पत्नी श्री कैलाश कुशवाह पुत्री श्री प्रेमनारायण कुशवाह अंकित है, ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम श्रीमती ज्योति कुशवाह पत्नी श्री कैलाश कुशवाह से जाना-पहचाना जाये एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जाये.

पुराना नाम
(रक्षा बाई कुशवाह)

नया नाम
(ज्योति कुशवाह)

निवासी-मकान नंबर-48-मुख्य मार्ग के पास,
बेरखेडी, बजयाफत, रातीबड,
जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-524)

नाम परिवर्तन

मैं, अरविंद कुशवाह आत्मज श्री प्रेमनारायण कुशवाह है सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम उमराव सिंह कुशवाह पुत्र श्री प्रेमनारायण कुशवाह दर्ज है एवं मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय, शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे नाम अरविंद कुशवाह आत्मज श्री प्रेमनारायण कुशवाह अंकित है, ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अरविंद कुशवाह आत्मज श्री प्रेमनारायण कुशवाह से जाना-पहचाना जाये एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जाये.

पुराना नाम
(उमराव सिंह कुशवाह)

नया नाम
(अरविंद कुशवाह)

निवासी-मकान नंबर-3280, होशंगाबाद रोड,
बावडियाकलां, पटेल चौक,
हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-525)

नाम परिवर्तन

मैं, गनेश जगदाले (GANESH JAGADALE) पुत्र श्री मारुति जगदाले सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम गनेश जगदाले है गलती से मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 202311417 में मेरा नाम गनपत जगदादे (GANPAT JADADE) पुत्र श्री मारुति जगदादे लिख गया है, जबकि वर्तमान में मुझे गनेश जगदाले पुत्र श्री मारुति जगदाले के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है. जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि में लिखा है और भविष्य में भी मैं, गनेश जगदाले पुत्र श्री मारुति जगदाले के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूंगा. अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 202311417 में मेरा नाम गनपत जगदादे पुत्र श्री मारुति जगदादे के स्थान पर मेरा सही नाम गनेश जगदाले पुत्र श्री मारुति जगदाले लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम
(गनपत जगदादे)
पुत्र-श्री मारुति जगदादे

नया नाम
(गनेश जगदाले)
पुत्र-श्री मारुति जगदाले
वार्ड न. 6, नया बाजार, जौरा, मुरैना.

(G-526)

नाम परिवर्तन

मैं, कौशलेश (Kauslesh) पुत्र गिलसू सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 202476153 में मेरा नाम कमलेश (KAMLESH) गलती से लिख गया है, जबकि वर्तमान में मैं, कौशलेश पुत्र गिलसू के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ जो मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पास बुक, आदि में लिखा गया है एवं भविष्य में भी मैं इसी नाम कौशलेश पुत्र गिलसू के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा तथा हस्ताक्षर करता रहूंगा. अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 202476153 में मेरा नाम कमलेश के स्थान पर कौशलेश लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(कमलेश)

नया नाम
(कौशलेश)

निवासी-कबीर बस्ती, टाल के पास, मुरार, ग्वालियर.

(G-527)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. ओम साईं कृपा एसोसिएट्स, पता:-110, न्यू शिवाजी नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र. 02-42-01-0009-16, दिनांक 23-04-2016 है. जिसमें दिनांक 31-03-2023 को भागीदार श्रीमती रजनी खत्री पत्नी श्री हरीश खत्री, निवासी-इ-4/11, विल्डस हिल्स, सिटी सेंटर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गयी है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

मे. ओम साईं कृपा एसोसिएट्स
आशीष कुमार गुलरजनी,
(भागीदार)

110, न्यू शिवाजी नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर.

(G-528)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में श्री महाकाल ट्रेडर्स (M/S SHRI MAHAKAL TRADERS) के नाम से एक भागीदारी फर्म है, जिसका पंजीयन क्र. 04-17-01-146-09, दिनांक 02-02-2009 है.

यह कि उक्त फर्म का नाम पंजीयन प्रमाण-पत्र में मे. महाकाल ट्रेडर्स (M/S MAHAKAL TRADERS) है जबकि हमारी फर्म का नाम पार्टनरशिप डीड में मे. श्री महाकाल ट्रेडर्स (M/S SHRI MAHAKAL TRADERS) है.

M/S SHRI MAHAKAL TRADERS,
स. अजिन्द्रसिंह बेदी,
(पार्टनर)

(G-529)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स कोस्मो इन्फ्राटेक जो सिरोल रोड, ग्वालियर में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-42-01-0122-19, दिनांक 03-08-19 है, जिसमें दिनांक 04-04-2023 को भागीदार श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश जैन, निवासी- ए- 8, बसंत बिहार, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 04-04-2023 को भागीदार श्री मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल निवासी 98-100, शारदा बिहार कॉलोनी, सिटी सेंटर, ग्वालियर नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं।

मेसर्स कोस्मो इन्फ्राटेक,
अरविंद अग्रवाल,
(भागीदार)
सिरोल रोड, ग्वालियर.

(G-530)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म-आर्शी एसोसियेट, ऑफिस- शॉप नम्बर-28, फाईन एवेन्यू, फेस-1, नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल पंजीयन क्रमांक 01-01-01-0010-16 इस फर्म में श्री वीरेन्द्र रामटेके पुत्र श्री देवदास रामटेके भागीदार थे, जो कि दिनांक 01-07-2020 से फर्म के भागीदार नहीं रहे हैं इनके स्थान पर श्री शैलेन्द्र रामटेके पुत्र श्री देवदास रामटेके फर्म में भागीदार के रूप में दिनांक 01-07-2020 को शामिल किये गये हैं।

मेसर्स आर्शी एसोसियेट्स
एडवोकेट रविन्द्र रामटेके
(भागीदार)

(G-531)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स यूनाइटेड इंटरप्राइसेस (UNITED ENTERPRISES) जिसका पंजीयन क्रमांक 03-27-01-0247-19 व पंजीयन दिनांक 05 फरवरी, 2019 तथा पंजीकृत पता- 156-97/4/2, सत्यदेव नगर, इन्दौर, जिला इन्दौर है, जिसमें पंजीयन के समय तीन भागीदार (1) नरेश पिता श्रीधर गावशिंदे (2) सरफराज पिता सफत मोहम्मद पठान (3) गिरधारी पिता रमेशचंद्र मित्तल थे, दिनांक 08 सितम्बर 2022 को फर्म के दो भागीदार (1) सरफराज पिता सफत मोहम्मद पठान (2) गिरधारी पिता रमेशचंद्र मित्तल ने फर्म से रिटायर होने की इच्छा जाहिर की एवं एक नये भागीदार सिद्धार्थ पिता गिरीश गावशिंदे ने फर्म में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की है। जिस पर शेष भागीदार ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। अतः वर्तमान में फर्म के दो भागीदार (1) नरेश पिता श्रीधर गावशिंदे (2) सिद्धार्थ पिता गिरीश गावशिंदे हैं।

मेसर्स यूनाइटेड इंटरप्राइसेस, इन्दौर
नरेश पिता श्रीधर गावशिंदे,
सिद्धार्थ पिता गिरीश गावशिंदे,
(Partner)

(G-532)

PUBLIC NOTICE**NOTICE U/S 72 OF THE PARTNERSHIP ACT 1932**

Notice is hereby given that in the firm PRIME INFRA Registered Office at House No. 178, Scheme no. 114-1, Indore (MP), and Registration No. is 03/27/01/0394/22 dated 20/12/2022. which was constituted vide partnership deed executed on 05th May 2022.

In this partnership firm subsequently, following changes have occurred on 27th July 2022 Smt. Anju Baranwal D/o Shri Dilip Prashad Baranwal has joined the firm as a new partner.

Now, (1) Shri Ramesh Chand Jain S/o Shri Deep Chand Jain, (2) Shri Prayank Jain S/o Shri Ramesh Chand Jain, (3) Smt. Anju Baranwal D/o Shri Dilip Prashad Baranwal are the running partners of the firm.

For. PRIME INFRA
Prayank Jain
(Partner)

(G-533)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मारुती डेवलपर्स - पता सर्वे क्र 398/1, 398/2, ग्राम दतना, देवास रोड, उज्जैन (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/01/00065/08 सन 2007-2008 दि. 02/02/2008 जिसका दिनांक 18/07/2022 तक निम्नलिखित भागीदार संचालन कर रहे थे

1. मंजुला जैन पति दिनेश जैन
2. प्रेमलता वर्मा पति सुरेश वर्मा

दिनांक 19/07/2022 से भागीदारों की अपसी सहमति से फर्म में नये भागीदारों को जोड़ा जा रहा है, इस प्रकार दि. 19/07/2022 से फर्म का संचालन निम्नलिखित भागीदार करेंगे

1. दिनेश जैन आत्मज शांतिलाल जैन
2. प्रतीक जैन आत्मज दिनेश जैन
3. मंजुला जैन पति दिनेश जैन
4. सुरेश वर्मा आत्मज चैनसिंह वर्मा
5. स्वपनेश वर्मा आत्मज सुरेश वर्मा
6. प्रेमलता वर्मा पति सुरेश वर्मा

भागीदार फर्म मेसर्स मारुती डेवलपर्स में उपरोक्त परिवर्तन सर्वजन एवं आमजन को सूचित हो।

फर्म मेसर्स मारुती डेवलपर्स
प्रतीक जैन
(भागीदार)

(G-534)

सर्वे क्र. 398 / 1, 398 / 2, ग्राम दतना, देवास रोड, उज्जैन (म.प्र.)

PUBLIC NOTICE**NOTICE UNDER SECTION 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

NOTICE is hereby given for public information that following changes in the constitution of **M/s SHIKHAR REALTECH** (Regn. No. 03/27/01/0253/21 of 2020-2021) having its Principal Place of Office at **409, Shekhar Central, Palasia Square, Indore - 452001, M.P.**

M/S SHIKHAR REALTECH was having four partners and out of which two partners namely; **Shri Manish Jain S/o Shri Rakhab Chand Jain, R/o 18/3 New Mahesh Nagar, Indore** and **Shri Govind Mittal S/o Shri Rampal Mittal R/o 19/15 Y. N. Road, Indore** have voluntarily retire as partners from the said partnership firm with effect from 22/11/2022 and the Partnership Firm has altered the location of its Principal Place of Business from 409, Shekhar Central, Palasia Square, Indore - 452001, M.P. to **601, 6th Floor, Vibrant Business Tower, 9A & 9B, Manormaganj, Indore - 452001, Madhya Pradesh, India** and constitution of the firm stands altered accordingly.

For. M/s. SHIKHAR REALTECH
Priyash Jain
(Partner)

(G-535)

PUBLIC NOTICE**NOTICE U/S 72 OF THE PARTNERSHIP ACT 1932**

Notice is hereby given that in the firm **M/S. ASHISH JAISWAL** Registered Office at "Old Shyam Talkies" 141, Itwara Bazar Pipariya, Opp Hotel Lucky Palace, Tehsil Pipariya District Hoshangabad (M.P) 461775, and Registration No is 01/07/06/0330/22 dated 23/11/2022. which was constituted vide partnership deed executed on 11th Feburary, 2017.

In this partnership firm subsequently following changes have occurred on 1st April 2022 **Shri. Amarpal Yadav, S/o Shri Hariram Yadav** has joined the firm as a new partner.

Now, (1) **Shri Ashish Jaiswal S/O. Shri Sohanlal Jaiswal**, (2) **Shri Rahul Jaiswal, S/o. Late Shri Kamal Kumar Jaiswal**, (3) **Shri Omprakash Rai, S/o Shri Asharam Rai** and (4) **Shri. Amarpal Yadav, S/o Shri Hariram Yadav** are the running partners of the firm.

For. M/s. ASHISH JAISWAL
Rahul Jaiswal
(Partner)

(G-536)

आम सूचना

सर्वधारण को सूचित किया जाता है की फर्म मेसर्स वीर बालाजी कोल्ड स्टोरेज - पता खसरा क्रं 161/1/1, 161/2, 161/1/1/2, डाक बंगला रोड, ग्राम तराना, उज्जैन (म.प्र.) जिराका पंजीयन क्रमांक 07/33/07/0020/16 सन 2016-2017 दि. 09/06/2016 जिसका दिनांक 17/05/2021 तक निम्नलिखित भागीदार संचालन कर रहे थे

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. बनेसिंह सोलंकी | 2. जानकीबाई पाटीदार |
| 3. सुभाषचंद्र पाटीदार | 4. नरेन्द्र सरिया |
| 5. सगर्बाई पाटीदार | 6. लीलाबाई पाटीदार |
| 7. माखनलाल पाटीदार | 8. पुरुषोत्तम गामी |

दिनांक 17/05/2021 को भागीदार बने सिंह सोलंकी की कोरोना से मृत्यु होने से उनके स्थान पर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह सोलंकी को फर्म में सम्मिलित किया जा रहा है। इस प्रकार दि. 17/05/2021 से फर्म का संचालन निम्नलिखित भागीदार कर रहे हैं

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. कृष्णपालसिंह सोलंकी | 2. जानकीबाई पाटीदार |
| 3. सुभाषचंद्र पाटीदार | 4. नरेन्द्र सरिया |
| 5. सगर्बाई पाटीदार | 6. लीलाबाई पाटीदार |
| 7. माखनलाल पाटीदार | 8. पुरुषोत्तम गामी |

भागीदार फर्म मेसर्स वीर बालाजी कोल्ड स्टोरेज में उपरोक्त परिवर्तन सर्वजन एवं आमजन को सूचित हो

मेसर्स वीर बालाजी कोल्ड स्टोरेज
नरेन्द्र सरिया
(भागीदार)

(G-537)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स तृप्ति डेवलपर्स - पता ३२/१, वरुची मार्ग, प्रीगंज, उज्जैन (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/01/00068/09 सन 2009-2010 दि. 01/12/2009 जिसका दिनांक 12/01/2023 तक निम्नलिखित भागीदार संचालन कर रहे थे

1. सुरेश वर्मा आत्मज चैनसिंह वर्मा
2. प्रतीक जैन आत्मज दिनेश जैन
3. आदित्य तपडिया आत्मज शैलेन्द्र गुप्ता

दिनांक 13/01/2023 से भागीदारो की अपसी सहमति से फर्म में नये भागीदारो को जोड़ा जा रहा है, इस प्रकार दि. 13/01/2023 से फर्म का संचालन निम्नलिखित भागीदार करेंगे

1. सुरेश वर्मा आत्मज चैनसिंह वर्मा
2. प्रतीक जैन आत्मज दिनेश जैन
3. संदीप गुप्ता आत्मज बाबूलाल गुप्ता
4. आदित्य तपडिया आत्मज शैलेन्द्र गुप्ता
5. सिद्धार्थ तपडिया आत्मज संजय गुप्ता

भागीदार फर्म मेसर्स तृप्ति डेवलपर्स में उपरोक्त परिवर्तन सर्वजन एवं आमजन को सूचित हो।

मेसर्स तृप्ति डेवलपर्स
आदित्य तापडिया
(भागीदार)

(G-538)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स बी.आर.एस. बिल्डर्स, पात 05 सिविल लाईन, सागर (म प्र.) पुर्नगठन दिनांक 12/01/2023 को किया गया है जिसमें तीन पार्टनर फर्म में जोड़े जा रहे हैं तथा फर्म का नाम मथा फर्म का नया नाम एव पते का विवरण निम्नानुसार है। 1. डॉ संजय पारासर बल्द श्री डॉ शांस्विरुप निवासी 365 रविशंकर वार्ड सागर 2. अवनीश चौधरी बल्द श्री बालकमल चौधरी निवासी बालक हिल ब्यू हाउस नम्बर शिव मंदिर के पास शिवाजी वार्ड सागर 3. सौरभ विल्थरिया बल्द मोहनलाल बिल्थरिया निवासी राजीव नगर वार्ड सागर फर्म का नया नाम श्री देव भूतेश्वर बिल्डकॉन एवं पात 365 रविशंकर वार्ड चमेली चौक सागर (म प्र.) फर्म का नया नाम एवं पात 12.01.2023 से प्रभावशाली माना जायेगा यदि उक्त फर्म के पुर्नगठन वाबत किसी संस्था व्यक्ति को या सदस्यो को उजर अपति हो तो वह आम सूचना प्रकाशन के अंदर अपनी अपति उक्त पते पर दर्ज कराने की मियाद निकल जाने के पश्चात फर्म की कोई जबावदारी नहीं होगी

मेसर्स बी.आर.एस. बिल्डर्स
मोहनलाल बिल्थरिया
(भागीदार)

(G-539)

05, सिविल लाईन, राजीव नगर वार्ड, सागर (म.प्र.)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स भगवत प्रसाद शर्मा स्थित 185 गायत्री बिहार कॉलोनी ठाटीपुर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 125/06 दिनांक 26.12.2006 है। जिसमें दिनांक 01.02.2023 को भागीदार 1. श्रीमति साधना शर्मा पत्नि श्री लोकेश शर्मा निवासी श्रीराम नगर, बंगाली स्कायर इन्दौर 2. श्रीमति ममता शर्मा पत्नि श्री अविनाश शर्मा निवासी गायत्री बिहार कॉलोनी ठाटीपुर ग्वालियर 3. श्री गुरुदेव सिंह लोधी पुत्र श्री मेघसिंह निवासी ग्राम पीपरी अटेर जिला मिण्ड 4. श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री राजकुमार जैन निवासी शक्तिनगर छिंदवाड़ा 5. श्री विक्रम सिंह पुत्र गुरुबख्खा सिंह निवासी होशियारपुर पंजाब 6. श्री बालभद्र शर्मा पुत्र श्री महेश शर्मा निवासी जीबाजी ठाटीपुर ग्वालियर 7. श्री हंसराज पुत्र श्री ईश्वरलाल निवासी भीलवाड़ा राजस्थान 8. श्री देवेन्द्र भोयर पुत्र श्री श्रीराम भोयर निवासी ई-7, नारी रोड, नागपुर, महाराष्ट्र अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म. मेसर्स भगवत प्रसाद शर्मा
अविनाश शर्मा
(भागीदार)

(G-540)

108, गायत्री बिहार कॉलोनी ठाटीपुर, ग्वालियर.

Public Notice

This is to inform that M/s Kaya Care Hospital and Dialysis Center is a registered partnership firm having office at Bhargava Building, Satai Road, Chhatarpur. Constitution of the firm was changed due to retirement of 1. Nitin Bhargava, 2. Mrs. Savita Bhargava from the firm vide partnership deed 21/12/2022. Now the partners of the firm are : 1. Mr. Surendra Singh Rajpoot, 2. Smt. Mohani Rajpoot, 3. Smt. Shikha Sharma, 4. Smt. Swati Khare. Retiring Partners 1. Mr. Nitin Bhargava, 2. Smt. Savita Bhargava This Public notice is being published for the purpose of registration of change in constitution of the office of registrar of firm and society.

M/s. Kaya Care Hospital and Dialysis Center
Surendra Singh Rajpoot
(Partner)

(G-541)

Bhargava Building, Satai Road, Chhatarpur.

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में अंक आदित्य फ्यूल (M/S ANK ADITYA FUELS) के नाम से एक भागीदारी फर्म है।

इस फर्म से दिनांक 08/02/2023 से एक भागीदार (1) श्री आदित्य उपाध्याय पिता श्री तारकेश्वर उपाध्याय निवासी वार्ड न. 01 पुरानी बस्ती जुन्नारदेव तह. जामई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) निकल रहे है एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 08/02/2023 से एक भागीदार (1) मोहम्मद शाहिद खान पिता अब्दुलबरी खान निवासी 88 दमुआ रोड जामई तह. जामई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) शामिल हो रहे है। अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 08/02/2023 से संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगे। उक्त फर्म का राजिस्टर्ड ऑफिस वार्ड न. 14 दमुआ रोड जुन्नारदेव तह. जामई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) स्थित है।

M/s. ANK ADITYA FUELS
आशीष अग्रवाल
(पार्टनर)

(G-542)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स शुक्ला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी कैलारस स्थित पी.डब्ल्यू.डी. डांक बंगला के पास, एम.एस. रोड़ कैलारस, जिला मुरेना जिसका पंजीयन क्रमांक आर.जी./फर्म/60 दिनांक 22.11.2004 में पंजीकृत हैं। जिसमें दिनांक 01.04.2023 को (1) अब्दुल खालीक पुत्र श्री लतीफ खान निवासी सबलगढ़ जिला मुरेना म.प्र. (2) श्री मोहम्मद हाफिज पुत्र श्री लतीफ अहमद खान निवासी सबलगढ़ जिला मुरेना म.प्र. (3) श्री वीरेन्द्र सिंह सिकरवार पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह सिकरवार निवासी अशोकगली कैलारस मुरेना म. प्र. (4) श्री कुवंरपाल सिंह पुत्र श्री शंकरसिंह निवासी दिमनी, जिला मुरेना (म.प्र.) (5) श्री गिराज सिंह तोमर पुत्र श्री तेजसिंह तोमर निवासी अम्बाह जिला मुरेना म. प्र. (6) श्री पवन शुक्ला पुत्र श्री बनवारी लाल शुक्ला निवासी एम एस रोड़ कैलारस मुरेना अपनी स्वेछा से फर्म से पृथक हो रहे हैं। एवं दिनांक 01.04.2023 को अभिवेक शुक्ला पिता श्री बनवारी लाल शुक्ला निवासी ग्राम रिठोनिया पी.डब्ल्यू.डी गेस्ट हाउस के पास कैलारस मुरेना एवं बनवारी लाल शुक्ला पुत्र श्री जीवन लाल शुक्ला ग्राम रिठोनिया पी.डब्ल्यू.डी गेस्ट हाउस के पास कैलारस मुरेना फर्म में नवीन भागीदार सम्मिलित हो गये हैं।

मेसर्स शुक्ला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी कैलारस
गगन शुक्ला
(भागीदार)

पी.डब्ल्यू.डी. डॉक बंगला के पास, एम.एस. रोड़,
कैलारस, जिला मुरेना.

(G-543)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एबी इन्टरप्राइजेज पता— राजकुमार ट्रेडर्स मकान नं. 20 दाल बाजार लश्कर, ग्वालियर म.प्र. जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00210/11 दिनांक 21.11.2011 में पंजीकृत हैं। जिसमें दिनांक 20.01.2023 को (1) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री बाहुलाल गोयल निवासी संगम अपार्टमेंट, माधव नगर लश्कर ग्वालियर म.प्र. (2) श्री नयन सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी ए-1/ए द्वारिकापुरी ग्वालियर म.प्र. बनवारी लाल शुक्ला अपनी स्वेछा से फर्म से पृथक हो रहे हैं। एवं दिनांक 20.01.2023 को (1) भूपेंद्र सिंह तोमर पुत्र स्व. श्री अरुण कुमार सिंह तोमर निवासी 415, तानसेन नगर ग्वालियर (2) विजय डंडोतिया पुत्र ब्रन्दावन निवासी 16/340, मिल एरिया रोड़, दत्तपुरा, मुरेना म.प्र. फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं।

मेसर्स एबी इन्टरप्राइजेज
भूपेंद्र सिंह तोमर
(भागीदार)

राजकुमार ट्रेडर्स, मकान नं. 20, दाल बाजार,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-544)

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल 2023-चैत्र 24, शक 1945

भाग ३ (२)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)